महत्वपूर्ण एवं खास

पंचायत सचिव दयानिधि खड़िया निलंबित

रायगढ़। जिला पंचायत रायगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जितेन्द्र यादव ने ग्राम पंचायत लारा के पंचायत सचिव दयानिधि खडिय़ा को आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु मृत/पलायन हितग्राहियों का सत्यापन कार्य समयावधि में नहीं करने, समीक्षा बैठकों में अनुपस्थित रहने, शासन की योजनान्तर्गत संचालित कार्यों में रूचि नहीं लेने, मुख्यालय से अनुपस्थित रहना, उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करने एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण प्रथम दृष्टियां दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत पुसौर निर्धारित किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर अनंतिम मेरिट सूची जारी

रायगढ़। स्वास्थ्य विभाग, रायगढ़ अंतर्गत जिले में फार्मासिस्ट ग्रेड-02, ड्रेसर ग्रेड-1, ड्रेसर ग्रेड-2, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, पुरूष, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, महिला एवं डार्करूम असिस्टेंट के पद पर भर्ती किए जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन मंगाए गए थे। जिसके उपरांत प्राप्त आवेदनों के आधार पर गत दिवस दावा-आपत्ति आवेदन मंगाए गए थे। दावा-आपत्तियों का निराकरण गठित चयन समिति द्वारा किए जाने के उपरांत दावा-आपत्ति निराकरण सूची एवं दावा आपत्ति उपरांत अनंतिम मेरिट सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, रायगढ़ के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है एवं जिले के वेबसाईट www.raigarh.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in में अपलोड किया गया है।

दानवीर भामाशाह सम्मान-2024 के लिए अलंकृत करने हेतु मंगाए गए प्रविष्टियां

रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष राज्योत्सव के अवसर पर दानशीलता, सौहाद्र्र एवं अनुकरणीय सहायता प्रदान करने वाले उत्कृष्ट व्यक्ति/संस्था को दानवीर भामाशाह सम्मान से अलंकृत किया जाता है। चयनित व्यक्ति/ संस्था के रूप में 01 लाख रूपये एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान करने का प्रावधान है। उप संचालक समाज कल्याण, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि दानशीलता, सौहाद्र्र एवं अनुकरणीय सहायता प्रदान करने वाले उत्कृष्ट व्यक्ति/ संस्था की प्रविष्टियां दानवीन भामाशाह सम्मान 2024 हेतु 27 सितम्बर 2024 से पूर्व समाज कल्याण संचालनालय, समाज कल्याण परिसर, माना कैम्प रायपुर को जिला कलेक्टर की अनुशंसा सहित भेजा जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए व्यक्ति/संस्था का पूर्ण परिचय तथा वह छत्तीसगढ़ में निवासरत/कार्यरत हो। व्यक्ति/संस्था का पिछला कार्य उत्कृष्ट हो और वर्तमान में भी निरंतर सक्रिय हो। उक्त सम्मान हेतु ज्यूरी के सदस्यों की प्रविष्टियां मान्य नहीं होगी। दानशीलता एवं राष्ट्रीयता के क्षेत्र में किए गए कार्यो का विस्तृत विवरण, अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण, उत्कृष्ट कार्यो के संबंध में प्रकाशन, प्रख्यात व्यक्तियों/ पत्र-पत्रिकाओं द्वारा की गई टिप्पणी, निरंतर क्रियाशील एवं निर्विवाद होने के विषय में जिला कलेक्टर की अनुशंसा तथा चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने की लिखित सहमति एवं पासपोर्ट साईज के 3 फोटोग्राफ्स आवश्यक है।

चक्रधर समारोह-2024

विभिन्न नृत्य विधाओं से थिरकेगा मंच, वाद्य यंत्रों से गुंजायमान होगा समारोह : लोक कलाओं और नृत्यों में सराबोर होगी प्रादेशिक संस्कृति

रायगढ़

रायगढ़ का प्रसिद्ध चक्रधर समारोह का मंच इस बार देशभर के विभिन्न नृत्य विधाओं को समाहित कर थिरकेगा, वही वाद्य यंत्रों की मधुर संगीत से वातावरण गुंजायमान होगा। साथ ही विभिन्न लोक कला और नृत्य अपने प्रदेशिक संस्कृति की छटा बिखरेती नजर आएगी।

39 वे चक्रधर समारोह में भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी नृत्य के साथ-साथ असमिया सत्रीया नृत्य, ओडिशी, मणिपुरी नृत्य विधाओं की मनमोहक प्रस्तुति होगी। जिसमें भरतनाट्यम् में नृत्यांगना पद्मश्री हेमा मालिनी, पद्मश्री देवयानी और मीनाक्षी शेषाद्रि विशेष आकर्षण के साथ मंच को सुशोभित करेंगी। वही भूपेंद्र बरेठ, पूर्णाश्री राउत, दीपान्निता सरकार, पदम् रंजना गौहर, जया दीवान, धरित्री सिंह चौहान, शैंकी सिंह, गजेंद्र पंडा, आर्या नंदे, नित्या खत्री, बासंती वैष्णव एवं ज्योतिश्री बोहिरदार, सौम्या नामदेव, विधि सेन गुप्ता, दीपमाला सिंह, उपासना भास्कर, शुश्री दीक्षा घोष, अवंतिका विश्वकर्मा, डॉ आरती सिंह, डॉ.जी रथीस बाबू, शार्वी केशरवानी, भद्रा सिन्हा, लकी मोहंती, मृदु स्मिता दास, विद्या प्रदीप एवं साथी, शाश्वती बनर्जी, कृष्ण भद्र नंबूदरी, डॉ रघुपत रूनी श्रीकांत, पौशाली चटर्जी, आलोक श्रीवास, पलक देवांगन, भूमिसूता मिश्रा, पद्मश्री देवयानी, वेदिका शरण, माया कुलश्रेष्ठ अपनी नृत्य प्रस्तुति देंगे। जिनके नृत्य से पूरा चक्रधर समारोह का मंच विभिन्न विधाओं से थिरकता नजर आएगा।

वही सरोद वादन में सौगत गांगुली, फ्यूजन के तहत तबला, संतूर, सितार में जीतू शंकर और ग्रुप, अकार्डियन वादन में तपसीर मोहम्मद एवं साथी, बांसुरी और तबला वादन में राकेश चौरसिया, सितार वादन में अनुष्का सोनी, तबला वादन में अंशु प्रताप सिंह, संतूर तबला वादन में राहुल शर्मा एवं रामकुमार मिश्रा के वाद्य यंत्रों से पूरा मंच से गुंजायमान होगा।

छत्तीसगढ़ के साथ अन्य राज्यों के प्रादेशिक संस्कृति की देखेगी झलक

चक्रधर समारोह में छत्तीसगढिय़ा के साथ असम की लोक नृत्य और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। जिसमें करमा लोक नृत्य में मनिहर भगत मनमोहक प्रस्तुति देंगे। इसी प्रकार इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ द्वारा राज्य में प्रचलित विविध छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य की प्रस्तुति एवं पद्मश्री अनुज शर्मा द्वारा छत्तीसगढ़ी लोकगायन के साथ ही छत्तीसगढ़ की पारंपरिक गेड़ी लोक नृत्य की प्रस्तुति अनिल कुमार गढ़ेवाल द्वारा की जाएगी। हुतेन्द्र ईश्वर शर्मा छत्तीसगढ़ी नृत्य संगीत में अपनी प्रस्तुति देंगे।

इसी प्रकार बीहू असम की लोक नृत्य बिहू त्यौहार से संबंधित है और असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिसमें समूह में किया जाने वाला बिहू नर्तक आमतौर पर युवा पुरुष और महिलाएं होते हैं और नृत्य शैली की विशेषता तेज कदमों और तेजी से हाथ की हरकतें होती हैं। नर्तकियों की पारंपरिक वेशभूषा लाल रंग की थीम पर केंद्रित होती है, जो खुशी और जोश का प्रतीक है। जिसकी प्रस्तुति मानसी दत्त एवं साथी द्वारा किया जाएगा।

अवैध शराब के विशेष अभियान में कोतरा रोड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई

अवैध महुआ शराब निर्माण पर छापा, 35 लीटर शराब बरामद, महुआ पास का नष्टीकरण, दो आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

अवैध शराब के खिलाफ अभियान को और सख्त बनाते हुए, एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन में जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस ने ग्राम उसरौट में अवैध महुआ शराब निर्माण और बिक्री की सूचना पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने महुआ शराब के उत्पादन में उपयोग किए जा रहे महुआ पास का नष्टिकरण कर, अलग-अलग 02 कार्रवाई में दो आरोपियों से अवैध महुआ शराब बरामद की।

पहली कार्रवाई में, पुलिस टीम ने ग्राम उसरौट में अश्विनी कुमार चौहान उर्फ छेदीलाल (उम्र 47 वर्ष) को उसके घर के सामने एल्युमीनियम के कुंडे में 17 लीटर कच्ची महुआ शराब (कीमत 1700 रुपये) के साथ पकड़ा। अश्विनी ने स्वीकार किया कि वह शराब को विक्रय के लिए रखे हुए था, लेकिन कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

दूसरी कार्रवाई में, पुलिस ने दिलबोध सारथी (उम्र 39 वर्ष) को उसके घर के पीछे सुअर शेड के बगल में 18 लीटर कच्ची महुआ शराब (कीमत 1800 रुपये) के साथ पकड़ा। दिलबोध ने भी स्वीकार किया कि वह शराब को बिक्री के लिए रखे हुए था, लेकिन कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

दोनों आरोपियों के कृत्यों को अपराध धारा 34(2), 59ए आबकारी एक्ट के तहत पाते हुए, उन्हें मौके पर ही विधिवत गिरफ्तार किया गया। इस पूरी कार्रवाई में एडिशनल एसपी आकाश मरकाम और डीएसपी अखिलेश कौशिक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी के साथ सहायक उप निरीक्षक हेमसागर पटेल, प्रधान आरक्षक शंकर राम कालो, आरक्षक संदीप कौशिक, चंद्रेश पांडेय, राजेश खंडे, संजय केरकेटा, शिवा प्रधान, संजीव पटेल और मनोज जोल्हे शामिल रहे। इस मुस्तैद कार्रवाई से जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर कड़ा प्रहार हुआ है, जो आगे भी जारी रहेगी।

मेसर्स बालाजी राईस प्रोडक्ट पर लगा 50 हजार रुपए का जुर्माना, कलेक्टर ने ब्लैक लिस्टेड करने के दिए निर्देश

- कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन कार्य में उल्लंघन का मामला

रायगढ़

पंजीकृत कस्टम मिलर्स मेसर्स बालाजी राईस प्रोडक्ट द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु धान उठाव के अनुपातिक कम चावल जमा किया गया था। प्रकरण के जांच उपरांत कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश की कंडिकाओं के उल्लंघन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए खाद्य अधिकारी एवं जिला विपणन अधिकारी को संबंधित फर्म पर आगामी विपणन वर्ष 2024-25 के लिए काली सूची में दर्ज करने तथा इस वर्ष कस्टम मिलिंग के कार्य हेतु पंजीयन नहीं करने के आदेश दिए है।

खाद्य अधिकारी, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के निराकरण हेतु पंजीकृत कस्टम मिलर मेसर्स बालाजी राईस प्रोडक्ट, ग्राम-कंचनपुर, तहसील घरघोड़ा प्रोप्राईटर चन्द्रदीप अग्रवाल द्वारा अनुबंध में 24100 क्ंविटल धान का उठाव किया गया। जिसका अनुपातिक चावल कुल 16147 क्विंटल जमा किया जाना था। किन्तु मिलर द्वारा कुल 9820 क्विंटल चावल जमा किया गया तथा 1740 क्विंटल धान जशपुर एवं खरसिया भेज दिया गया। जांच में भौतिक सत्यापन में 6420.35 क्ंविटल घान (4301.64 क्विंटल चावल)का अंतर पाया गया। जिस पर कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश की कंडिकाओं के उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज कर 619 क्विंटल चावल, 303 क्विंटल धान जप्त किया गया।

प्रकरण में कलेक्टर रायगढ़ द्वारा मिल संचालक को नोटिस दिया गया किन्तु मिल संचालक द्वारा अनुपस्थित रहने के कारण 1 जुलाई 2024 को एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए मेसर्स बालाजी राईस प्रोडक्ट कंचनपुर घरघोड़ा के प्रोप्राईटजर चंद्रदीप अग्रवाल द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश की कंडिका में उल्लंघन किए जाने के कारण 50 हजार रुपये शास्ति अधिरोपित करते हुए प्रकरण में जप्तशुदा धान चावल के मूल्य से 50 हजार रुपये शासन के पक्ष में राजसात करने एवं राशि का नियमानुसार भुगतान किए जाने के पश्चात जप्तशुदा चावल, धान एवं कनकी को मुक्त किए जाने तथा आगामी विपणन वर्ष 2024-25 हेतु मेसर्स बालाजी राईस प्रोडक्ट को काली सूची में दर्ज करने एवं इस वर्ष कस्टम मिलिंग के कार्य हेतु पंजीयन नहीं किए जाने का आदेश खाद्य अधिकारी एवं जिला विपणन अधिकारी को दिया गया है।

प्रदेश के बाहर से डीजल आयात कर अवैध रूप से भंडारित करने पर कलिंगा कमर्शियल कार्पो लिमिटेड पर हुई कार्यवाही

- 34 हजार लीटर डीजल टैंकर सहित राजसात, विस्फोटक लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही जारी
- कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने की बड़ी कार्यवाही

रायगढ़

प्रदेश के बाहर से डीजल परिवहन आयात कर अवैध भंडारण के मामले में कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने बड़ी कार्यवाही की है। उन्होंने कलिंगा कमर्शियल कार्पो लिमिटेड के द्वारा अवैध रूप से भंडारित किए गए 34 हजार लीटर डीजल को टैंकर सहित राजसात करने के साथ कंपनी को जारी विस्फोटक लाइसेंस निरस्त करने विस्फोटक नियंत्रक रायपुर को लिखा है।

छाल से घरघोड़ा मार्ग में वाहन टैंकर में अवैध रूप से डीजल का परिवहन करते हुए पाये जाने पर खाद्य विभागए रायगढ़ के संयुक्त जांच दल द्वारा कार्यवाही की गई। जिसमें उक्त टैंकर में 34 हजार लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया, जो कि कलिंगा कमर्शियल कार्पो लिमिटेड के द्वारा प्रदेश के बाहर से आयात किया जा रहा था। प्रकरण में कलिंगा कमर्शियल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पेट्रोलियम नियम 2002 के उल्लंघन किया जाना प्रमाणित होने के कारण कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रकरण में जप्त डीजलमय वाहन को राजसात किए जाने का आदेश पारित करते हुए कंपनी को जारी विस्फोटक अनुज्ञप्ति को निरस्त किए जाने हेतु विस्फोटक नियंत्रक रायपुर को कार्यवाही हेतु लिखा गया है।

खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कलिंगा कमर्शियल कार्पो लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि फर्म कोयला खनन, कोयला लोड अनलोड, परिवहन सहित अन्य कार्यों के लिए संबंधित परिसर में अपने वाहनों एवं मशीनरी के लिए उक्त डीजल का आयात किया जा रहा था। कंपनी के पास इंडियन ऑयल कार्पोरेशन से अनुबंधित कंज्यूमर पम्प का भण्डारण लायसेंस है, जबकि जांच में उक्त कंपनी द्वारा कंज्यूमर पम्प के भूमिगत टैंक के अतिरिक्त वाहनों जिसमें रिफ्यूलर टैंक भी शामिल है। (जांच में रिफ्यूलर टैंक का विस्फोटक लाईसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया)का उपयोग भण्डारण के लिए किया जाना पाया गया। इसी प्रकार कंपनी द्वारा रिलायंस, एचपीसीएल से ऑयल क्रय किया जाना पाया गया जबकि कंपनी को जारी एनओसी में केवल आईओसीएल से अनुबंध का उल्लेख है, जो पेट्रोलियम नियम 2002 के तहत उसे प्रदाय लाईसेंस की शर्तो का उल्लंघन है। 27 जुलाई 2024 को एचपीसीएल मुगलसराय डिपो से 29 हजार लीटर डीजल (एचएसडी) लाया जाना पाया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर जांच दल लोडमय डीजल टैंकर जप्त कर मेसर्स कलिंगा कमर्शियल कार्पोरेशन लिमिटेड के विरूद्ध प्रकरण निर्मित कर न्यायालय कलेक्टर में प्रस्तुत किया गया।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए मंगाए गए आवेदन

रायगढ़

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आवेदन मंगाए गए है। जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत नवीन खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना व विस्तार स्व-सहायता समूहों द्वारा स्थापना, किसान उत्पादक संगठन द्वारा स्थापना, सामान्य सुविधा केन्द्र, सामान्य उदभवन केन्द्र स्थापित करने एवं विस्तार हेतु बैंकों से ऋण हेतु योजना शामिल है। इस योजना के लिए आवेदक अपना आवेदन आनलाईन वेबसाईट https://pmfme.mofpi.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है।

मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु के उद्यमी को पात्रता होगी तथा वह इकाई प्रतिबंधित सूची में शामिल न हो। इसी तरह अनुदान की पात्रता, पूंजीगत अनुदान अंतर्गत व्यक्तिगत परियोजना-पूंजीगत ऋण पर 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रूपये, स्व-सहायता समूह पूंजीगत ऋण पर 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रुपये, किसान उत्पादक संघ पूंजीगत ऋण पर 35 प्रतिशत एवं सामान्य उदभवन केन्द्र पूंजीगत ऋण पर 35 प्रतिशत शामिल है। योजना में इन्टरेस्ट सबवेन्शन तथा टाप अप कनवर्जेस योजना में ब्याज में छूट प्रदान किया जाता है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालयीन दिवस एवं समय में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ में संपर्क कर सकते है अथवा दूरभाष क्रमांक 07762-222914/ 07762-255344 पर भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते है।

ऑपरेशन मुस्कान में जूटमिल पुलिस ने गुम नाबालिग बालिका को किया दस्तयाब : नाबालिग को भगा ले जाने वाला युवक पॉक्सो एक्ट में गया जेल

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत जूटमिल पुलिस ने एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इस अभियान के तहत जूटमिल थानाक्षेत्र से गुम हुई नाबालिग बालिका को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया है।

मामला 29 अगस्त 2024 का है, जब जूटमिल थाना में एक स्थानीय निवासी ने अपनी नाबालिग बेटी के 28 अगस्त को बिना बताए कहीं चले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार, 28 अगस्त की सुबह करीब 11:00 बजे लड़की अपनी सहेली को बुक देने कहकर घर से निकली थी, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने पहले रिश्तेदारों और स्कूल में उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रिपोर्टकर्ता ने संदेह जताया कि उनकी बेटी आकाश सारथी नाम के एक युवक के साथ बातचीत करती थी, और संभवत: वह उसे बहला - फुसलाकर भगा ले गया है।

पुलिस द्वारा गुम बालिका और संदिग्ध की पतासाजी की गई, जिसके दौरान 01 सितंबर 2024 को जूटमिल क्षेत्र में बालिका को दस्तयाब किया गया। बालिका ने बताया कि आकाश सारथी उसे शादी का झांसा देकर भगाकर ले गया था और उसका शारीरिक शोषण किया। इस गंभीर मामले में जूटमिल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपराध क्रमांक 382/24 के तहत धारा 137(2) बीएनएस, धारा 87, 64 (2) (ड), 65(1) बीएनएस, और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आकाश सारथी (उम्र 21 वर्ष) को गिरफ्तार कर 02 सितंबर 2024 को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज, प्रधान आरक्षक रामनाथ बनर्जी, और हमराह स्टाफ ने अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक और नाबालिग को सुरक्षित घर लौटाने में सफलता पाई।

संघ/ राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण दिव्यांगों के लिए प्रोत्साहन अनुदान योजना संचालित

रायगढ़

छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग द्वारा क्षितिज अपार संभावनाएं अंतर्गत नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत या अधिक नि:शक्त व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ का निवासी हो, संघ/ लोक सेवा आयोग के प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर एक बार एकमुश्त प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है।

उप संचालक समाज कल्याण, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 20 हजार रुपये एकमुश्त दिया जाएगा। इसी तरह मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30 हजार रुपये तथा संघ/छत्तीसगढ़ लोक सेवा में चयन होने पर 50 हजार रूपये एकमुश्त दिया जाएगा।

संघ/राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सम्मिलित जिले के दिव्यांग अभ्यर्थियों के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने तथा अंतिम स्तर पर चयनित होने उपरांत जीवन में एक बार एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अत: जिले के मूल निवासी पात्र दिव्यांग अभ्यर्थी योजना से लाभ लेने हेतु जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग, रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

महिला सेल का जागरूकता अभियान

पुसौर के शासकीय विद्यालय में छात्र-छात्राओं को दी गुड टच-बैड टच और यातायात नियमों की जानकारी

रायगढ़

एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन पर महिला और बालकों को विविध अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 04 सितंबर 2024 को महिला सेल प्रभारी सहायक उप निरीक्षक मंजू मिश्रा द्वारा डीएसपी अनामिका जैन के मार्गदर्शन में थाना पुसौर अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला डूमरमुडा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में सहायक उप निरीक्षक मंजू मिश्रा द्वारा स्कूल के छात्र-छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बीच अंतर समझाया गया और उन्हें डेमो देकर सुरक्षित रहने के उपायों की जानकारी दी गई। इसके अलावा, यातायात नियमों की भी जानकारी दी गई, ताकि बच्चे सड़क सुरक्षा के महत्व को समझ सकें और सही तरीके से यातायात के नियमों का पालन कर सकें। बच्चों को मोबाइल गेम के दुष्प्रभाव को बताया गया तथा शिक्षा के प्रति प्रेरित किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में स्कूल के छात्र-छात्राओं के साथ अध्यापकगण और स्कूल स्टाफ भी मौजूद थे। महिला सेल की प्रधान आरक्षक मालती कंवर और महिला आरक्षक प्रीति यादव, इंदु एक्का ने भी इस कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाई। यह कार्यक्रम न केवल बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था, बल्कि उन्हें आत्म-सुरक्षा के प्रति सजग करने के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुआ।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480